

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण R.A.S.

मुकदमा नम्बर :- 83/2019 निर्णय दिनांक :- 3/6/2019

उनवान

1. नेहा सिंघल पत्नि जितेन्द्र सिंघल जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. 246 जय जवान कॉलोनी प्रथम टॉक रोड जयपुर राज0।

बनाम

1. काना पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी उदयपुरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू।

प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये पुलिस इमदाद पत्थर गढी करवाने बाबत


प्रार्थीया ग्राम उदयपुरिया तहसील चाकसू के खातेदार काश्तकार है जिनके अराजी खसरा नम्बर 84/1155, 85, 94/2 किता 3 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम उदयपुरिया तह0 चाकसू में स्थित है जो प्रार्थीया की खातेदारी में है। प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी व जवाब सरकार लिये जाने हेतु लिखा गया तो अप्रार्थीगण की तामील अदम तामील प्राप्त हुयी है, एवं जवाब सरकार पेश हुआ जो संलग्न है। जवाब सरकार पेश होने पर वकील प्रार्थीयो कथन



उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवा लिया है अब पत्थरगढी करवाना चाहती है इस बाबत जवाब सरकार भी प्राप्त हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी आदेश दिये जाना जाहिर किया गया।

अतः वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अराजी खसरा नम्बर 84/1155, 85, 94/2 किता 3 रकबा 0.85 है० वाके ग्राम उदयपुरिया तहसील चाकसू की पत्थरगढी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी व पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में, अन्य किसी न्यायालय का स्थगन न हो तथा फसल के कटने के बाद पत्थरगढी की जावे व उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है। जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)